वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी,
जयपुर–302004

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर

Phone : 0141-2711263, 2709821
www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2019–2020)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। राज्य मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। राज्य मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी हैः–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
4. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

राज्य मण्डल का गठन

राज्य मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम 1974 में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। राज्य मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1	श्री सुदर्शन सेठी दिः 01.04.2019 से 31.08.2019	अध्यक्ष
	श्री पवन कुमार गोयल दि. 23.09.2019 से 31.03.2020	
2	श्रीमती शैलजा देवल 01.04.2019 से 31.03.2020	सदस्य–सचिव
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)
4	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)
5	आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)
6	मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य (सरकारी)
7	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग	सदस्य (सरकारी)

8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	* श्री निर्मल नाहटा, महापौर, नगर निगम, जयपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	* श्री नारायण चौपड़ा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	* श्री महेश विजय, महापौर, नगर निगम, कोटा	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	* श्री घनश्याम ओझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	* श्री लोकेश द्विवेदी, उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	*श्री शान्ति लाल बालर, लघु उद्योग भारती, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
16	* श्री अभिषेक शर्मा, पुत्र श्री कैलाश शर्मा, 705, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)
17	* मेजर श्री विकास चौधरी, (सेवानिवृत), ए– 147, गोल बिल्डिंग, विद्युत नगर, जयपुर	सदस्य (गैर सरकारी)

* उपरोक्त क्रम संख्या 10 से 17 में वर्णित सदस्यों का कार्यकाल दि. 27.07.2019 को समाप्त होने के उपरान्त राज्य मण्डल मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को नए सदस्यों को नामित करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः वर्तमान में सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

राज्य मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 15 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के 15 अन्य स्थानों पर राज्य मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। राज्य मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 561 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 258 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गो में विभाजित हैं। राज्य मण्डल के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल की 01 बैठक दिनांक 23.08.2019 को आयोजित की गई।

राज्य मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा, ई–वेस्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना तथा जल एवं वायु अधिनियमों में उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन राज्य मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

1. वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 13226 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

2. वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 3136 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

3. वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 595 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

4. वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 3419 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

5. वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के अन्तर्गत कुल 02 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

1. राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–
   i. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
   ii. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
   iii. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में स्थित भस्मक (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।
2. राज्य में 6 व्यक्तिगत भूमि निपटान सुविधा एवं 3 व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा (इनसिनरेटर) है।
3. राज्य के लगभग सभी बड़े सीमेंट उद्योगों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का सहप्रसंस्करण (Co-processing) किया जा रहा है।
4. राज्य में लगभग 211 पंजीकृत पुनः चक्रण उद्योग (रजिस्टर्ड रिसाईकलर्स) स्थापित हैं जो लैड एसिड, यूज्ड ऑयल, वेस्ट ऑयल आदि का पुनः चक्रण करते है।
5. राज्य में परिसंकटमय अपशिष्ट के पूर्व एक प्रसंस्करण सुविधा (1,80,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता) जिला चित्तौडगढ में स्थापित एवं कार्यरत है।
6. राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 6 एवं 13 के अन्तर्गत प्राधिकार/एकबारीय प्राधिकार हेतु आवेदन के साथ शुल्क भुगतान संबंधी प्रावधान आदेश दिनांक 18.02.2020 द्वारा किया गया है।
7. राज्य मण्डल द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 के नियम 7 के अन्तर्गत बैटरी डीलर के रजिस्ट्रेशन हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 23.01.2020 द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2019–2020 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तर के 17 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तर के 77 अस्पतालों, 101 से 199 बिस्तर के 57 अस्पतालों, 100 बिस्तर तक के 5379 अस्पतालों एवं 2509 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिन्हित किया गया है, इनसे अनुमानतः 22716.229 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 08 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर / जिले
1	इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जिला जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू
2	एनविजन एनवायरो इंजीनियर्स प्रा. लि., ग्राम–उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही एवं डूंगरपुर
3	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर, जैसलमेर एवं पाली
4	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर एवं भीलवाडा
5	इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर एवं नागौर
6	इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
7	हॉसविन इन्सीनरेटर, रूथ धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
8	हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम–धानवारा, झालावाड़	जिला झालावाड, बाराँ, कोटा एवं बून्दी
9	मैसर्स–जे.आर.आर.वेस्ट मैनजेमेन्ट प्रा. लि. (पूर्व नाम–दत्त एन्टरप्राइजेज लिमिटेड) ब्लॉक नं. एस 21 शॉप नं. 04 संजय पैलेस, आगरा	जिला धौलपुर

इनके अतिरिक्त राज्य में सात सामूहिक उपचार, भण्डार एवं व्ययन सुविधाऐं प्रस्तावित है।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं सांगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूहों से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2019–2020 तक 17 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन सत्रह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से पांच संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए एवं एक उपचार संयंत्र वस्त्र उद्योग इन्टीग्रेटेड प्रोसेस हेतु, तीन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर–माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र क्रमशः सांगानेर एवं बगरू (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित लघु वस्त्र उद्योगों के लिए कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्रसं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी.–1) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी.–2) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी.–3) पुनायता रोड, जिला पाली	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी.–4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	षष्ठ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी.–6) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	12 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
6	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी.–1) बालोतरा, जिला बाडमेर	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी.–2) बालोतरा, जिला बाडमेर	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

8	तृतीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी.–3) बालोतरा, जिला बाडमेर	18 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	जसोल, जिला बाडमेर	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	जसोल, जिला बाडमेर	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
11	बिठुजा, जिला बाडमेर	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
12	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग
13	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	9.00 एम.एल.डी.	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल–जल
14	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग
15	नेक्स्ट जेन टैक्स पार्क, पाली	00.8 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
16	जयपुर ईन्टिग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, तहसील– सांगानेर, जिला जयपुर	00.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
17	सांगानेर सी.ई.टी.पी. तहसील– सांगानेर, जिला जयपुर	12.3 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2019–2020 तक कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः–

राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क.सं.	स्थल	क्षमता
1.	ग्राम अग्यारा, तहसील रामगढ़, अलवर	20 एम.एल.डी.
2.	भिवाड़ी मोड़ के पास, सेक्टर 1, भिवाड़ी, अलवर	04 एम.एल.डी.
3.	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एसटीपी, अरावली विहार, भिवाडी	1.5 एम.एल.डी.
4.	मुण्डाना मेव एसटीपी, खसरा नं. 253, मदरसा वार्ड नं. 43 के सामने, भिवाडी	02 एम.एल.डी.
5.	आनासागर झील, रीजनल कॉलेज के पास, अजमेर	13 एम.एल.डी.
6.	खानपुरा तालाब, अजमेर	20 एम.एल.डी.
7.	ग्राम कुर्ला, बाडमेर	10 एम.एल.डी.
8.	ग्राम जेरला, बालोतरा कस्बे के पास, तहसील पचपदरा, बाड़मेर	09 एम.एल.डी.
9.	वल्लभ गार्डन, बीकानेर	20 एम.एल.डी.
10.	सराय नाथानिया, बीकानेर	12 एम.एल.डी.
11.	वार्ड नं. 7, नोखा, जिला बीकानेर	01 एम.एल.डी.

12.	सुरतगढ रोड, श्रीगंगानगर	10 एम.एल.डी.
13.	हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	05 एम.एल.डी.
14.	हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़	7.5 एम.एल.डी.
15.	ग्राम कुवाड़ा, भीलवाड़ा	10 एम.एल.डी.
16.	अभिमन्यु पार्क के पास, चित्तौड़गढ़	03 एम.एल.डी.
17.	एस.टी.पी. भोई खेडा चित्तौड़गढ़	05 एम.एल.डी.
18.	ग्राम तागावाली, राजाखेड़ा रोड़, धौलपुर	10 एम.एल.डी.
19.	ग्राम डेलावास, प्रथम प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.50 एम.एल.डी.
20.	ग्राम डेलावास, द्वितीय प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.50 एम.एल.डी.
21.	ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील आमेर, जयपुर	50 एम.एल.डी.
22.	रामनिवास बाग, जयपुर	01 एम.एल.डी.
23.	रलावता, ग्राम गोनेर, जयपुर	30 एम.एल.डी.
24.	ग्राम गजोधरपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर	30 एम.एल.डी.
25.	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर	01 एम.एल.डी.
26.	जवाहर सर्किल, जयपुर	01 एम.एल.डी.
27.	सेन्ट्रल पार्क, जयपुर	01 एम.एल.डी.
28.	जे.डी.ए. कॉलोनी, पालड़ी मीणा, जयपुर	03 एम.एल.डी.
29.	राजीव आवास योजना, मुहाना मण्डी, जयपुर	01 एम.एल.डी.
30.	ब्रह्मपुरी, तहसील आमेर, जयपुर	08 एम.एल.डी.
31.	ब्रह्मपुरी, तहसील आमेर, जयपुर	7.8 एम.एल.डी.
32.	अम्बाबाडी, जयपुर (द्रव्यवती प्रोजेक्ट)	20 एम.एल.डी.
33.	देवरी, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर	15 एम.एल.डी.
34.	रीको, कुन्दन नगर, मानसरोवर, जयपुर	100 एम.एल.डी.
35.	बम्बाला, प्रताप नगर, मानसरोवर, जयपुर	25 एम.एल.डी.
36.	गोनेर, आगरा रोड़, जयपुर	10 एम.एल.डी.
37.	किशनघाट, जैसलमेर	10 एम.एल.डी.
38.	जालौर शहर के पास, जालौर	10 एम.एल.डी.
39.	ग्राम गिरधरपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड़	03 एम.एल.डी.
40.	ग्राम फैजलपुर, तहसील झालरापाटन, झालावाड़	06 एम.एल.डी.
41.	ग्राम नान्दडी, बैनाड़ रोड़, जोधपुर	20 एम.एल.डी.
42.	सालावास, प्रथम, जोधपुर	50 एम.एल.डी.
43.	सालावास, द्वितीय, जोधपुर	50 एम.एल.डी.
44.	साजीधेड़ा, किशोरपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा	30 एम.एल.डी.
45.	डाड देवी रोड़, ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील लाडपुरा, कोटा	20 एम.एल.डी.
46.	ग्राम डीडवाना, नागौर	05 एम.एल.डी.

47.	ग्राम मकराना, नागौर	06 एम.एल.डी.
48.	बलवा रोड़, नागौर	8 एम.एल.डी.
49.	ई.एस.आई. हॉस्पिटिल के पास, पुनायता रोड़, पाली	7.50 एम.एल.डी.
50.	ग्राम प्रतापपुरा, राजसमन्द	05 एम.एल.डी.
51.	ग्राम हेतामजी, (माउण्ट आबू) तहसील आबू रोड़, सिरोही	6 एम.एल.डी.
52.	ग्राम सूरवाल, सवाई माधोपुर	10 एम.एल.डी.
53.	ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	20 एम.एल.डी.
54.	ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	25 एम.एल.डी.
55.	एफसीआई के पास, यूनाइटेउ स्प्रिट के पीछे, उदय सागर रोड़, उदयपुर	10 एम.एल.डी.
56.	संयुक्त सीवेज उपचार संयंत्र, फतेहपुर, सीकर	7.5 एम.एल.डी.
57.	शिव कॉलोनी, सीकर	08 एम.एल.डी.
58.	संयुक्त सीवेज उपचार संयंत्र, गजसर, चूरू	07 एम.एल.डी.
59.	ग्राम शेखपुरा, तहसील एवं जिला धौलपुर	03 एम.एल.डी.
60.	राजकीय महाविद्यालय के पीछे, तहसील एवं जिला करौली	05 एम.एल.डी.
61.	ग्राम बलीता, लाडपुरा, कोटा	06 एम.एल.डी.
62.	देवपुरा, बून्दी	08 एम.एल.डी.
63.	मंडिया रोड़, पाली	15 एम.एल.डी.
64.	कुवाड़ा, भीलवाड़ा	4.5 एम.एल.डी.
65.	खसरा न. 97, गाँव करोलियाँ, ग्राम पंचायत–बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली	02 एम.एल.डी.
66.	पुराडा रोड़, तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली	10 एम.एल.डी.

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	5039
उत्सर्जित वायु / गैस	464
परिवेशी वायु	61248
ध्वनि स्तर	2220
योग	**68971**

शिकायत निस्तारण

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य मण्डल में आई.ई.सी. एवं पी.सी.वी. शाखा कार्यरत हैं।

वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण / जल / वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 1409 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 1326 शिकायतों का निराकरण किया गया।

जनचेतना

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से सबंधित ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट दिवसों यथा पृथ्वी दिवस–22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस–16 सितम्बर के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सामाजिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से वृक्षारोपण, संगोष्ठियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी, प्रदर्शनी, पोस्टर एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, पौध वितरण आदि कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु इन सभी कार्यक्रमों का संचार साधनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

आलोच्य वर्ष में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित प्रभावी ज्ञानवर्धन हेतु राज्य व्यापी सघन प्रचार–प्रसार के उददेश्य से पृथ्वी दिवस–22 अप्रेल 2019, विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून 2019 एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस–16 सितम्बर 2019 के अवसर पर पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य के जिलों में गठित जिला पर्यावरण समितियों को उक्त तीनों अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार राशि रूपये 50000 तक उपलब्ध करायी गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस–5 जून 2019 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा चुने गये विषय (थीम) ''वायु प्रदूषण'' को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण के प्रति जनचेतना एवं जन सहभागिता के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, राजस्थान स्काउट गाईड, यातायात पुलिस आदि की सहभागिता से राज्य स्तरीय आयोजन के अन्तर्गत प्रातः 6 बजे ''रन फोर एनवायरमेंट रैली'' आयोजित की गई।

राज्य मण्डल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर खेजड़ी की बेटी शीर्षक नाटक रविन्द्र मंच पर आयोजित हुआ जो कि 363 लोगों द्वारा खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु दिये गये बलिदान का वर्णन करता है।

राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न प्रायोजनों पर एफ एम चैनल, टी.वी. चैनल, होर्डिंग तथा न्यूज पेपर द्वारा पर्यावरण हेतु जनचेतना की गयी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 735 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 695 मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 65 अपीलें दायर की गईं। इनमें स 61 अपीलों का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की कुल 51 जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वर्ष 2019–2020 में कुल 22 विधिक अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2019–2020 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 980 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 507 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 377 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 96 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

एनवायरनमेन्टल कम्पनसेशन

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में दिनांक 25.06.2019 के आदेशों द्वारा एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन शाखा एवं एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन कमेटी का गठन किया गया। तत्पश्चात् राज्य मण्डल द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन अधिरोपित करने हेतु दिशा–निर्देश दिनांक 08.01.2020 को जारी किये गये। राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान 522 दोषी इकाईयों के विरूद्ध 11.28 करोड़ रूपये की एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन राशि अधिरोपित की गई। इससे पूर्व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भी एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन राशि अधिरोपित की गई है। वर्ष 2019–20 में वसूल की गई एनवायरनमेंटल कम्पनसेशन राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

राज्य मण्डल द्वारा अधिरोपित राशि	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित राशि	कुल वसूली गई राशि
266.87 लाख रूपये	2306.98 लाख रूपये	2573.85 लाख रूपये

विविध गतिविधियाँ

1. राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 39 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में 03 स्थानों पर तथा कोटा में 06 स्थानों पर तथा जोधपुर एवं जयपुर में 09 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

2. राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2017–2018 के दौरान राज्य के 7 शहरों में 8 नये सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली, तथा उदयपुर में एक–एक स्थान पर) की स्थापना की गई। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में कुल 10 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र कार्यरत हैं।

3. राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 199 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों एवं झीलों के जल (सतही जल) के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं कुओं की छःमाही है। 199 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 60 केन्द्र नदियों एवं झीलों पर तथा 139 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुएं, हैण्ड़पम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

4. राज्य मण्डल द्वारा ओजोन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तथा साथ ही लगभग 40 सफाई कर्मचारियों को उनके सफाई में सहभागिता हेतु सम्मानित किया गया। ये सभी नगर निगम/जे.डी.ए./ एस.एम.एस. अस्पताल एवं विभिन्न एन.जी.ओं. में कार्यरत थे।

5. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं सेन्टर फोर साइंस एण्ड एनवायरमेंट के मध्य ''राजस्थान के गैर प्राप्ति शहरों के लिये स्वच्छ वायु कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिये ज्ञान, समर्थन एवं क्षमता निर्माण'' (Knowledge Support and capacity Building for Implementation of Clean Air Action Plan for Non Attainment Cities of Rajasthan) पर शोध हेतु एक एम.ओ.यू. किया गया।

6. राज्य मण्डल द्वारा मण्डल में कार्यरत अधिकारियों के लिए निम्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गयाः–

1. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहभागिता से ''ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड'' (Energy Conservation Building Code) पर दिनांक 29–30 जुलाई 2019 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
2. राज्य मण्डल द्वारा जिला कलेक्टर के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार एवं आई.आई.टी., बोम्बे की सहभागिता से ''प्रदूषण नियत्रण कार्यक्रम पर सरकारी एजेंसियों की भूमिका'' (Orientation Programme on Control of pollution and Role of Government Agencies) विषयक दो दिवसिय ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26–27 सितम्बर, 2019 को किया गया।
3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के निपटान पर संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण'' (Sensitization cum Orientation Workshop on Disposal of Solid waste Management) पर दिनांक 16 नवम्बर, 2019 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
4. ''प्रबन्धन विकास कार्यक्रम'' (Management Development Programme) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29–30 नवम्बर 2019 को किया गया।
5. ''ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणाली'' (Online Continuous Emmission/ Effluent Monitoring System) पर पाली में, राज्य मण्डल के अधिकारियों के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 6 जनवरी, 2020 को किया गया।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	156.49	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	2490.18
जल उपकर पुनर्भरण	—	कार्यालय व्यय	734.30
सम्मति शुल्क	5801.74	प्रयोगशाला व्यय	13.75
पी.डी.खाते से ब्याज	979.37	विज्ञापन एवं प्रकाशन	166.98
बैंक/एफ.डी.आर. पर ब्याज	2983.71	अनुसंधान एवं विकास	258.83
अन्य ब्याज	—	पूंजीगत व्यय	52.10
विविध आय	180.54	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय	49.14
नमूना विश्लेषण	6.19		
बी.एम.डब्ल्यू.	0.16	आयकर का भुगतान	1685.08
योग	10108.20	योग	5477.36

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2019–2020 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

उपकर राशि का विवरण	राशि (करोड़ रूपये में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	Nil
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	0.059
केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	Nil